

मैनुअल-2

पदाधिकारियों की प्रशासकीय शक्तियाँ

पद का नाम	आयुक्त एवं सचिव	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	1. विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में सभी कार्य/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सम्पुष्ट शक्तियाँ (समय-समय पर निर्गत अधिसूचना/संकल्प/कार्यपालिका आदेश द्वारा/सचिवालय अनुदेश के नियम 1.3 के अनुसार। 2(i) ग्रामीण विकास विभाग के किसी भी प्रशाखा की कोई संचिका/अभिलेख/कागजात मांगे जाने एवं उसपर आदेश/निर्देश पारित किये जाने की शक्ति। (ii) किसी भी विषय को ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के समक्ष उपस्थापित करने एवं उस पर आदेश प्राप्त करने की शक्ति। 3. विभागीय सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति।
	विशेष सचिव/ अपर सचिव	आयुक्त एवं सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ।
	संयुक्त सचिव	तदैव
	उप सचिव	तदैव
	अवर सचिव	तदैव

पदाधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ

पद का नाम	आयुक्त एवं सचिव	
शक्तियाँ	वित्तीय	(i) बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति। (ii) बिहार वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय शक्ति। (iii) बिहार कोषागार संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति।
	विशेष सचिव/ अपर सचिव	आयुक्त एवं सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ।
	संयुक्त सचिव	तदैव
	उप सचिव	तदैव
	अवर सचिव	तदैव